न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,डीग जिला डीग

मु0नम्बर 04/2024 (जी.सी.एम.एस.नम्बर:2024/153) पीठासीन अधिकारी:-श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. देवेन्द्र कुमार सैनी
2. प्रमोद कुमार सैनी

पुत्रगण गिर्राज जातियान माली नि0 पुरानी तहसील के पीछे भूडा गेट कस्बा डीग तहसील व जिला डीग (राज0)

-प्रार्थीगण

बनाम

1. हेमलता पत्नी हरगोविन्द
2. अंजली पुत्री हरगोविन्द
3. कीर्ति पुत्री हरगोविन्द
4. रोहित पुत्र हरगोविन्द

जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता खुद हेमलता जाति माली नि0 गिरधारी मन्दिर के सामने भूडा गेट कस्बा डीग तहसील व जिला डीग(राज0)

5. राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला डीग(राज0)

-अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 251-(क) राज0 टि0 एक्ट 1955,

निर्णय **दिनांक: 28.07.2025**

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट, इस आशय के साथ पेश किया है कि हाल आ.ख.नम्बरान 2888/0.02, 4060/2886/0.13, 4059/2886/0.16, 4058/2886/0.16,वाके कस्बा डीग द्वितीय तहसील डीग में स्थित है। आराजी खसरा नम्बरान 2888/0.02, 4060/2886/0.13,वाके ग्राम कस्बा डीग द्वितीय तहसील डीग प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी के आराजी खसरा नम्बरान है,प्रार्थीगण उक्त आराजीयात पर बुजुर्गान के समय से ही काबिज काश्त है और काश्त करते चले आ रहे है। आराजी खसरा नम्बरान 4059/2886 रकबा 0.16, 4058/2886 रकबा 0.16 वाके कस्बा डीग द्वितीय तहसील डीग अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है और अप्रार्थीगण उक्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है और अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 उक्त आराजी खसरा नम्बर पर खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण का आराजी खसरा नम्बर 4058/2886/0.16 के दक्षिण में आराजी खसरा नम्बर 3241 रकवा 0.97 गै.मु. रास्ता है जो अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर से लगा हुआ है तथा उक्त गै.मु. रास्ता सी. सी. रोड सहारई रोड बहताना मोड देवी के मन्दिर से भरतपुर चुंगी नांका हनुमान मन्दिर पर निकलता है। प्रार्थीगण की खातेदारी कातश्कारी के खसरा नम्बरान 2888/0.02, 4060/2886/0.13 की दक्षिण दिशा में ही अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

के आराजी खसरा नम्बर 4059/2886 रकबा 0.16, 4058/2886/0.16 स्थित है तथा प्रार्थीगण की आराजी पर काश्त एवं कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए बुजुर्गान के समय से जो पुराना रास्ता है वह अप्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नम्बरान से होता हुआ आराजी खसरा नम्बर 3241/0.97 गै.मु. रास्ता सी.सी. रोड सहारई रोड बहताना मोड देवी के मन्दिर से भरतपुर रोड चुंगी नांका हनुमानजी के मन्दिर के पास निकला हुआ है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण की आराजी के लिए नहीं है। वक्त फसल प्रार्थीगण को अपनी आराजी की फसल को उक्त सडक तक लाने में काफी परेशानी उठानी पडती है। प्रार्थीगण के आराजी खसरा नम्बर 4060/2886 रकबा 0.13, 2888 रकबा 0.02 के लिए मात्र एक ही रास्ता है जोकि अप्रार्थीगण के खसरा नम्बरान 4059/2886 रकबा 0.16, 4058/2886 रकबा 0.16 से होकर आराजी खसरा नम्बर 3241/0.97 गै.मु. रास्ता सी.सी. रोड जोकि देवी के मन्दिर सहारई रोड बहताना मोड से भरतपुर रोड हनुमानजी के मन्दिर के पास चुंगी नांका पर जाता है। प्रार्थीगण 30 फुट रास्ता लेना चाहते है जिसकी पूर्ति अप्रार्थीगण को रास्ता की नियमानुसार कानूनन कीमत देने को तैयार है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से अपने कब्जे काश्त खातेदारी के आराजी खसरा नम्बरान तक आने जाने के लिये व कृषि यंत्रों को लाने ले जाने के लिए रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण के उक्त आराजी खसरा नम्बरान को आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बरान 4060/2886/0.13, 2888/0.02 के लिये फसल आदि व कृषि उपकरणों को व आवागमन को सडक तक पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण के आराजी खसरा नम्बरान 4059/2886 रकबा 0.16, 4058/2886 रकबा 0.16 में से 30 फुट चौडा रास्ता प्रार्थीगण की आराजी से दक्षिण की तरफ वाया खसरा नम्बर 3241/0.97 गै.मु. रास्ता तक की लम्बाई का रास्ता दिलाया जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0/अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0/गैर सायल संख्या 01 की ओर से श्री मुकेश कुमार एडवोकेट द्वारा दिनांक 20.01.2025 अपना वकालतनामा पेश किया गया। वकील प्रति0 संख्या 01 की ओर से दिनांक 23.06.2025 को जबाव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)पेश किया गया।

तहसीलदार डीग के द्वारा पत्रांकःराजस्व/2025/102 दिनांक 17.01.2025 से रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। रिपोर्ट में वर्णित है कि आराजी खसरा नम्बरान 4058/2886 रकबा 0.16, 4059/2886 रकबा 0.16,से 4 मीटर चौडा रास्ता कृषि यंत्र आने-जाने हेतु दिया जाना उचित है तथा खसरा नम्बर 4058/2886 रकबा 0.16, में से 163.44 वर्ग मीटर व 4059/2886 रकबा 0.16,से 177.96 वर्ग मीटर रास्ता दिया जाना उचित है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)आर.टी.एक्ट पर दिनांक 23.07.2025 को वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

आर.टी.एक्ट की धारा 251-ए(ख) के अन्तर्गत कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथा स्थिति उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

तो ऐसा अभिधारी या यथा स्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी यदि संक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि- यह आवश्यकता आत्यतिंक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है। अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है तो आदेश द्वारा आवेदक को अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है जहॉ उप धारा(1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौडा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जावेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ता के रूप में अभिलिखित की जायेगी। धारा 251(क) के तहत के वहॉ डी.एल.सी. दर से भूमि की कीमत अदा करना आवश्यक है। भूमि के बदले भूमि दिये जाने का प्रावधान नहीं है। तहसीलदार डीग के प्रस्ताव के अनुसार आराजी खसरा नम्बरान 4058/2886 रकबा 0.16, 4059/2886 रकबा 0.16,से 4 मीटर चौडा रास्ता दिया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि :-

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251-ए,स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम कस्बा डीग द्वितीय तहसील डीग में स्थित आराजी खसरा नम्बरान 4058/2886 रकबा 0.16, 4059/2886 रकबा 0.16,से 4 मीटर चौडा रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है तथा खसरा नम्बर 4058/2886 रकबा 0.16, में से 163.44 वर्ग मीटर व 4059/2886 रकबा 0.16,से 177.96 वर्ग मीटर रास्ता प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान डी.एल.सी. दर के दो गुना रास्ते के लिए जा रही भूमि का तहसील कार्यालय डीग में कीमत का भुगतान जमा कराये जाने पर रास्ता अंकन किये जाने के आदेश तहसीलदार डीग को प्रदान किये जाते है। उक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ता होगा।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

निर्णय आज दिनांक 28.07.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner